दिनांक 18.08.2010 को श्री विपिन कुमार, जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, श्री गिद्धे□वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति :– यथा पंजी में संधारित।

2. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर आज दिनांक 18.08.10 को श्री गिद्धे वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति की बैठक आयोजित की गयी। सर्वप्रथम समिति के सदस्यों से परिचय प्राप्त किया गया।

3. जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, न्यास समिति द्वारा समिति के सचिव से गिद्धे वर नाथ महादेव मंदिर के विकास एवं कार्यकारिणी की गतिविधियों के संबंध में जानकारी मांगी गयी।

4. समिति के सचिव, श्री रमे ा श्रीवास्तव ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा टूटे हुए चाहरदीवारी का निर्माण, भोड का निर्माण एवं अन्य विकाय कार्य भवन निर्माण विभाग, जमुई के माध्यम से कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टूटे हुए चाहरदीवारी का निर्माण एवं मरम्मति किया गया है तथा दो पीपल के पेड़ के चारो ओर चबूतरा का निर्माण कराया गया है। मंदिर से उत्तर पक्की सड़क से किउल नदी तक नाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा मंदिर प्रांगण परिसर में दक्षिण एवं उत्तर दि ाा में चबुतरा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मंदिर परिसर के उत्तर पार्किंग क्षेत्र में मिट्टी भराई का कार्य कराया जा रहा है।

5. बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, जमुई श्री राजेन्द्र सरदार ने बताया कि गिद्धे वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु राज्य पर्यटन विकास विभाग, बिहार पटना के द्वारा 98,54,500=00 रूपये के परियोजना प्रस्ताव पर मुख्य अभियंता बिहार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है, जिसमें पेयजल, मंडप, यात्री भोड, जन सुविधायें, मंदिर परिसर का विकास, गेटवे, प्रका ा की व्यवस्था, स्थल विकास, पार्किंग आदि कार्य की योजना हेतु कुल 57,42,515=00 रूपये तथा इसका 3% आकस्मिकता व्यय मो0 17,225=00 रूपये अर्थात कुल 59,14,790=00 रूपये की प्र ाासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से वित्तीय वर्श 2010–11 में 25,00,000=00 रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। उन्होनें बताया कि उपरोक्त सभी कार्य छः माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

6. जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, न्यास समिति ने मंदिर के नाम पर कुल बन्दोबस्त जमीन के संबंध में सचिव से पूछने पर उन्होंने बताया कि कुल 24 एकड़ जमीन मंदिर का है। इससे पूर्व मंदिर से संबंधित 8 एकड़ 52 डि0 जमीन सिंचाई विभाग द्वारा बांध एवं नहर आदि निर्माण हेतु अधिग्रहित किया गया है, जिसका मुआवजा एवं जमीन की कीमत विभाग द्वारा पूर्व मंदिर न्यास समिति को दे दिया गया है। वर्तमान में 3.18 एकड़ में मंदिर परिसर अवस्थित है तथा भोश जमीन आस–पास के गाँव में है, जो उपजाऊ है।

7. जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष न्यास समिति द्वारा मंदिर के आय के नियमित श्रोत के संबंध में जानकारी मांगे जाने पर मंदिर के सचिव, श्री श्रीवास्तव ने बताया कि खेती योग्य भूमि के उपज से

कुछ आय प्राप्त होता है एवं मंदिर में भाादी, मुंडन, जनेउ आदि कार्यक्रम के लिए निर्धारित भाुल्क से आय प्राप्त होता है तथा दान पात्र के माध्यम से भी कुछ आय प्राप्त होता है।

8. जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, न्यास समिति द्वारा 21 एकड़ भूमि में खेती के संबंध में पूछने पर समिति के कोशाध्यक्ष, श्री गिरिधारी यादव ने बताया कि बाटाईदारी के माध्यम से खेती करायी जाती है। फसल का आधा हिस्सा बटाईदार से समिति को प्राप्त होता है, जिसे बेचकर रा ि ा सचिव एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई–सह–उपाध्यक्ष के संयुक्त बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।

9. जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष न्यास समिति ने सुझाव दिया कि बटाईदारी के माध्यम से खेती न कराकर इसे डाक द्वारा एक–एक वर्श के लिए बन्दोबस्त करने से अधिक आय प्राप्त होगा तथा पारद ि ता भी बनी रहेगी। इसके लिए अंचल अधिकारी, खैरा से स्थानीय जमीन के उत्पादकता के आधार पर मुल्यांकन कराकर उसकी सुरक्षित न्यूनतम रा ि ा निर्धारित कर इसका डाक कराया जाना उचित होगा। उपरोक्त सुझाव पर समिति के सचिव सहित सभी उपस्थित सदस्यों ने सहमति प्रदान की। सचिव ने कहा कि इस व्यवस्था से आय में भी वृद्धि होने की संभावना है, परन्तु चूँकि इस वर्श खेती का समय समाप्त हो चुका है, अतः अगले वर्श से यह व्यवस्था लागू करना सही होगा, जिसपर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त किया।

10. सचिव श्री श्रीवास्तव ने बताया कि गिद्धे वर मंदिर के पूर्व में किउल नदी पर सुरक्षा तटबंध सिंचाई विभाग द्वारा बहुत पूर्व में बनाया गया था, जिसमें दो रास्ता दिया गया था। एक सीढ़ी के माध्यम से एवं दूसरा पुल के नीचे से मंदिर में स्थानीय यात्रियों के आने के लिए बनाया गया था, जो पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे यात्रियों को आने–जाने में काफी कठिनाई हो रही है। यदि सिंचाई विभाग द्वारा उक्त रास्ते की मरम्मति करा दी जाती है, तो श्रद्धालुओं को आने–जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, संख्या–2 को नियमों के आलोक में कार्रवाई करने का निदे ा दिया गया।

अंत में जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, न्यास समिति द्वार धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
गिद्धे वरनाथ महादेव मंदिर,
न्यास समिति, खैरा, जमुई।